न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
64/2022	11/03/2022	23/09/2025

1. मूलचन्द पुत्र श्री हुक्मा सैनी जाति माली निवासी ग्राम बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. लादूराम पुत्र नानगा
2. गोदू उर्फ गोरधन पुत्र नानगा
3. लल्लूराम पुत्र सुन्दर
4. बाबूलाल पुत्र सुन्दर
5. जगदीश पुत्र सुन्दर
6. शंकर पुत्र लादू
7. रामजीलाल पुत्र गोदू
8. मुकेश पुत्र गोदू
9. लीलाराम पुत्र गोदू
10. रामकिशोर पुत्र बाबूलाल
11. हनुमान पुत्र बाबूलाल
जाति माली निवासी ग्राम बूज, तहसील जमवारामगढख जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

12. पुलिस थाना अधिकारी जमवारामगढ, पुलिस थाना जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
13. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
14. जयपुर थार ग्रामीण बैक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा चावण्डिया, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
15. सिंडीकेट बैक जरिए शाखा प्रबंधक शाखा बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रारूपिक प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री संदीप शर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 0.05है0, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.32है0, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.47है0, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.28है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.12है0 भूमि वादी की स्वतन्त्र खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिन पर वादी साधिकार काबिज होकर नियमानुसार लगान राज्य सरकार को अदा कर अपने खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिन्हे वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में केसरिया रंग से दर्शाया गया है। उक्त वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 415 के सीवांजोड प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 व अन्य खातेदार चौथी देवी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 419 रकबा 0.33है0 स्थित है तथा वादी की खातेदारी में अंकित उपरोक्त वर्णित भूमियों में से खसरा नम्बर 339 के सीवांजोड प्रतिवादी स0 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 337 रकबा 0.06है0 स्थित है। वादीगण की खातेदारी की भूमि से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 11 का कोई संबंध एवं सरोकार नही है किन्तु फिर भी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 वादी की भूमि के पडौसी खातेदार होने व प्रतिवादी सं0 5 लगायत 11 इनके परिवार के सदस्य होने एवं इनकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 419 व 337 वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 415 व 339 के सीवाजोड होने का नाजायज फायदा उठाने के कुत्सित उद्देश्य से प्रतिवादी सं. 1 लगायत 11 आपस में मिलकर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–

Scanned with OKEN Scanner

षडयन्त्रपूर्वक वाद पत्र के पैरा सं0 1 में अंकित वादी की स्वतन्त्र खातेदारी की भूमि से वादी को बेदखल करने, जबरन खसरा नम्बर 415 में स्थित पाटरोलपोश कच्चे कमरे व अन्य खसरा नम्बरों पर कब्जा करने व सीमाओं से छेडछाड करने की अवैध कार्यवाही करते रहते है। वादी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि के साबिका खसरा नम्बर 186/2, 263, 332, 341, 927 पर वर्ष 1998 में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने जबरन कब्जा करने एवं वादी व उसके पिता को बेदखल करने की अवैध कार्यवाही करने पर आमादा हो गये जिस पर दिनांक 09.12.1998 को वादी व उसके पिता ने तत्कालीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष एक परिवाद अन्तर्गत धारा 107 व 116 जा0फौजदारी व दिनांक 22.12.1998 को एक वाद धारा 188 प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने उपस्थित होकर 12.01.1999 को राजीनामा प्रस्तुत कर स्वीकार कर डिक्री फरमा पर पाबन्द किया है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 ने कुट रचित दस्तावेज वसीयत तैयार कर एक झुठा वाद माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर के समक्ष वादी के विरूद्व प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 12.01.2015 को अपने निर्णय एवं डिक्री से प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 का वाद खारिज फरमा दिया। वादी द्वारा दिनांक 30.11.2015 को परिवाद अन्तर्गत धारा 107 व 116 सीआरपीसी, दिनांक 8.7.2015 को धारा 151 सीअरपीसी, दिनांक 20.09.2017 को धारा 122 सीआरपीसी , दिनांक 8.8.2018 को 107, 116 सीआरपीसी, दिनांक 26.09.2010 को प्रार्थना पत्र मारपीट व लज्जा भंग, दिनांक 27.08.2020 को परिवाद 107, 116 प्रस्तुत किया गया है। खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 415 पर वादी ने दिनांक 18.06.2015 को विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार से करवाकर अपनी उपरोक्त वर्णित भूमि की सीमाओ पर पत्थर के पीलर लगाकर तारफैसिंग कर रखी थी। जिन्हे दिनांक 18.12.2015 को तोडकर जबरन दो हरे पेड को काट ले गये। दिनांक 13.02.2022 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 11 तथा कुछ अज्ञात व्यक्ति एकराय होकर वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 415 पर आये और इसमें लगे पत्थर के पीलर व तारफैसिंग को तोड दिया और जबरन पाटरोलपोश कच्चे कमरे पर कब्जा पर आमादा हो गये। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी की उक्त वर्णित भूमि के किसी भी भू भाग या अंश पर अतिक्रमण कर वादी को बेदखल करने की कार्यवाही नही करें, पत्थर के पीलर व तारफैसिंग को तोडने व पेडों की कटाई करने की कार्यवाही नही करें तथा वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई मजाहत या मदाखलत ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट एवं मजदूरों से करवावें तथा ना ही उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 415 में स्थित पाटरोलपोश कच्चे कमरे पर कब्जा करने की कोई कार्यवाही नही करें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को तलबी जरिये रजि0 ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद प्रतिवादीगण उपस्थित नही आयें। प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 11 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई।

अतः वकील वादी की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम बूज, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 106 रकबा 0.05है0, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.32है0, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.47है0, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.28है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.12है0 में वादी की उक्त वर्णित भूमि के किसी भी भू भाग या अंश पर अतिक्रमण कर वादी को बेदखल करने की कार्यवाही नही करें, पत्थर के पीलर व तारफैसिंग को तोडने व पेडों की कटाई करने की कार्यवाही नही करें तथा वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई मजाहत या मदाखलत ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट एवं मजदूरों से करवावें तथा ना ही उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 415 में स्थित पाटरोलपोश कच्चे कमरे पर कब्जा करने की कोई कार्यवाही नही करें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 23/09/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

उनवान

मूलचन्द बनाम लादूराम वगैराह

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 64/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री संदीप शर्मा अधिवक्ता वादीगण निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम बूज, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 106 रकबा 0.05है0, खसरा नम्बर 339 रकबा 0.32है0, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.47है0, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.28है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.12है0 में वादी की उक्त वर्णित भूमि के किसी भी भू भाग या अंश पर अतिक्रमण कर वादी को बेदखल करने की कार्यवाही नही करें, पत्थर के पीलर व तारफैसिंग को तोडने व पेडों की कटाई करने की कार्यवाही नही करें तथा वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की कोई मजाहत या मदाखलत ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी ऐजेन्ट अथवा सर्वेन्ट एवं मजदूरों से करवावें तथा ना ही उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 415 में स्थित पाटरोलपोश कच्चे कमरे पर कब्जा करने की कोई कार्यवाही नही करें।

डिक्री आज दिनांक 23/09/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner